

[2024] 3 एससीआर 812: 2024 आईएनएससी 218

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
बनाम
ज़िलियन इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
(सिविल अपील संख्या 4417-4418/2024)

19 मार्च 2024

[न्या. बी.आर. गवई और न्या. संदीप मेहता]

विचारणीय मुद्दा

जब दूसरे संविदा में पहले संविदा की शर्तों और नियमों का सामान्य संदर्भ हो, तो क्या पहले संविदा में मध्यस्थता खंड स्वतः ही दूसरे संविदा पर लागू होगा।

हेडनोट

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 - अपीलार्थी ने निविदा के लिए निमंत्रण जारी किया - प्रत्यर्थी ने अपनी तकनीकी बोली प्रस्तुत की - एलओआई के माध्यम से अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को संविदा प्रदान किया - प्रत्यर्थी ने धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया - उच्च न्यायालय ने एकल मध्यस्थ नियुक्त किया - उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया

अभिनिर्धारित किया गया: सामान्य संदर्भ मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए नेतृत्व नहीं करेगा - एक अन्य संविदा में मध्यस्थता खंड का संदर्भ विशिष्ट होना चाहिए। [पैरा 3 और 21-23]

मध्यस्थता - दूसरे संविदा से मध्यस्थता खंड को पहले संविदा में कब शामिल किया जाएगा

अभिनिर्धारित किया गया: मध्यस्थता खंड की सचेत स्वीकृति - संदर्भ और समावेशन अलग-अलग हैं - संदर्भ स्वतः ही समावेशन की ओर नहीं ले जाता है। [पैरा 12-13 और 21-23]

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 7 (5) - मध्यस्थता खंड को एक सामान्य संदर्भ द्वारा शामिल नहीं किया जाएगा - सचेत स्वीकृति - विशिष्ट संदर्भ के अभाव में, केवल निष्पादन/प्रदर्शन शर्तें लागू होंगी - यदि कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं है, तो मध्यस्थता खंड लागू नहीं होगा - संदर्भ वर्तमान मामले में निगमन नहीं है - सामान्य संदर्भ निगमन की ओर नहीं ले जाता है।

अपीलार्थी ने झारखंड के बोकारो जिले के चंद्रपुरा में दामोदर नदी के पार "बंधक के निर्माण के साथ संबद्ध संरचनाओं के निर्माण" के लिए निविदा के लिए आमंत्रण जारी किया था, जिसके जवाब में, प्रत्यर्थी ने अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत की। वीयर के निर्माण के लिए संविदा प्रत्यर्थी को दिया गया था, जिसके बाद कुछ विवादों के कारण, प्रत्यर्थी ने निविदा दस्तावेजों की धारा 11 खंड 2 के खंड 3.34 के अनुसार एक नोटिस जारी किया, जिसमें मध्यस्थता का आह्वान किया गया और आगे एक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए अपीलार्थी की सहमति मांगी गई। प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता का आह्वान करते हुए, संविदा प्रदान करते समय अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (एल.ओ.आई.) के खंड 2 का सहारा लिया था। खंड 2 में इस प्रकार कहा गया है: "डीवीसी द्वारा एनबीसीसी को जारी निविदा में निहित सभी नियम और शर्तें यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां इन्हें एनबीसीसी द्वारा स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया हो।" चूंकि अपीलार्थी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर लिया।

अभिनिर्धारित किया गया: मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (5) के अवलोकन से ही पता चलता है कि किसी मध्यस्थता खंड को संविदा के भाग के रूप में पढ़े जाने से पहले, पक्षों द्वारा किसी अन्य दस्तावेज़ से मध्यस्थता खंड की सचेत स्वीकृति होनी चाहिए - इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविदा में दस्तावेज़ का संदर्भ ऐसा होना चाहिए जो दस्तावेज़ में निहित मध्यस्थता खंड को संविदा में शामिल करने के इरादे को दर्शाता हो। [पैरा 12 और 13]

उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने माना कि किसी अन्य संविदा की शर्तों और नियमों के सामान्य संदर्भ में मध्यस्थता खंड को शामिल करने का प्रभाव नहीं होगा - यह ध्यान देने योग्य है कि एल.ओ.आई. के खंड 7.0 में "केवल दिल्ली के अधिकार क्षेत्र वाले सिविल न्यायालयों के माध्यम से" शब्दों से पहले विशेष रूप से "केवल" शब्द का उपयोग किया गया है - जब दूसरे संविदा में पहले संविदा की शर्तों और नियमों का संदर्भ है, तो मध्यस्थता खंड स्वतः ही दूसरे संविदा पर लागू नहीं होगा जब तक कि उसमें विशिष्ट उल्लेख/संदर्भ न हो - वर्तमान मामला 'समावेशन' का मामला नहीं है, बल्कि 'संदर्भ' का मामला है - इस प्रकार, सामान्य संदर्भ में मध्यस्थता

खंड को शामिल करने का प्रभाव नहीं होगा - एल.ओ.आई. का खंड 7.0, जो समझौते का एक हिस्सा भी है, यह साफ़ तौर पर स्पष्ट करता है कि एनबीसीसी और प्रत्यर्थी के बीच विवाद का निवारण केवल दिल्ली की अधिकारिता वाले सिविल न्यायालयों के माध्यम से होना चाहिए - दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के आवेदन को स्वीकार करने में गलती की है। [पैरा 21 से 24]

उद्धृत निर्णयन विधि

आईनॉक्स विंड लिमिटेड बनाम थर्मोकेबल्स लिमिटेड
[2018] 1 एससीआर 86: (2018) 2 एससीसी 519- महत्वपूर्ण।

एम.आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड (2009) 7 एससीसी 696- पर
भरोसा किया गया।

ऊयूरो फेलगुएरा, एस.ए. बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड
[2017] 10 एससीआर 285: (2017) 9 एससीसी 729;
एलीट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है बनाम टेकट्रांस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है
[2018] 4 एससीआर 585: (2018) 4 एससीसी 281 - संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996

मुख्य शब्दों की सूची

मध्यस्थता, मध्यस्थता समझौता, लिस, आशय पत्र (एल.ओ.आई), निविदा के लिए निमंत्रण, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अनिर्णीत विषय, तथ्यतः, निगमन, संदर्भ।

निम्नलिखित से उत्पन्न मामला

सिविल अपीलीय अधिकारिता : 2024 की सिविल अपील सं. 4417-4418

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के एआरबीपी संख्या 44/2021 में दिनांक 12.03.2021 और 09.04.2021 के निर्णय और आदेश से

पक्षकारगण के प्रस्तुतकर्ता

गोपाल शंकरनारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता, देवर्षि भद्र, सुश्री जाह्नवी दुबे, सुनील मुंड, किरण कुमार पात्रा, अपीलार्थी हेतु अधिवक्ता।
सुमित कुमार, सुश्री कुमारी सुप्रिया, भरत कुमार, सुश्री साक्षी शर्मा, प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्तागण।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. बी.आर. गवई

1. अनुमति दी गई।
2. वर्तमान अपील में मध्यस्थता याचिका (एआरबी. पी.) सं. 44/2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय (इसके बाद, “उच्च न्यायालय”) के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 12 मार्च 2021 के अंतरिम आदेश और दिनांक 9 अप्रैल 2021 के अंतिम निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (इसके बाद, “मध्यस्थता अधिनियम” के रूप में संदर्भित) की धारा 11(6) के तहत आवेदन को अनुमति दी और 4 दिसंबर 2006 के आशय पत्र से उत्पन्न वर्तमान विवाद में पक्षों के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए एकल मध्यस्थ नियुक्त किया।
3. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:
 - 3.1 अपीलार्थी, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विख्यात), एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी और भारत सरकार का उपक्रम है, जो ईपीसी और/या पीएमसी आधार पर बिजली संयंत्रों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में लगी हुई है।
 - 3.2 प्रत्यर्थी, मेसर्स ज़िलियन इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड (पूर्व में दुर्हा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो निर्माण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लगी हुई है।
 - 3.3 अपीलार्थी ने एनआईटी सं. 01-डब्ल्यूआईआर/06 दिनांक 3 नवंबर 2006 के तहत “डीवीसी, सीटीपीएस, चंद्रपुरा, जिला-बोकारो, झारखंड में दामोदर नदी पर संबद्ध संरचनाओं के साथ वीयर का निर्माण – पैकेज

“क” (इसके बाद, “वीयर का निर्माण” के रूप में संदर्भित) के लिए निविदा आमंत्रण जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संविदा की सामान्य शर्तें, संविदा की विशेष शर्तें, मात्रा का बिल, आदि (सामूहिक रूप से, “निविदा दस्तावेज” के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

- 3.4** उपर्युक्त निविदा के प्रत्युत्तर में, प्रत्यर्थी ने दिनांक 16 नवम्बर, 2006 को अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत की।
- 3.5** निविदा मानदंडों की पूर्ति पर, आशय पत्र सं. एजीएम/आरएएन/सीटीपीएस-अवार्ड/06/1660 दिनांक 4 दिसंबर 2006 के तहत, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को कुल 19,08,46,612/- रुपये की लागत से वीयर के निर्माण का ठेका प्रदान किया।
- 3.6** समय बीतने के साथ, वर्तमान लिस के पक्षकारों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हो गए और परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी ने निविदा दस्तावेजों (जीसीसी) की धारा III खंड II के खंड 3.34 के संदर्भ में 6 मार्च 2020 को एक नोटिस जारी किया, जिससे मध्यस्थता का आह्वान किया गया और आगे एक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए अपीलार्थी की सहमति मांगी गई।
- 3.7** अपीलार्थी ने मध्यस्थता का आह्वान करते हुए उपर्युक्त नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया।
- 3.8** दिनांक 12 मार्च 2021 के अंतरिम आदेश के तहत, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता याचिका की अनुमति दी और पक्षकारगण के बीच विवाद को स्थगित करने के लिए एकल मध्यस्थ के रूप में उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा।
- 3.9** दिनांक 9 अप्रैल 2021 के अंतिम निर्णय और आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने एकल मध्यस्थ के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की प्रस्तावित नियुक्ति की पुष्टि की।
- 3.10** उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की जिससे अंतरिम आदेश और अंतिम निर्णय और आदेश दोनों को चुनौती मिली।

3.11 इस न्यायालय ने दिनांक 23 जुलाई, 2021 के आदेश के तहत नोटिस जारी किया और मध्यस्थता की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई।

4. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित कुमार को सुना है।
5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6) के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करके घोर अपराध किया है। यह कहा गया है कि दिनांक 4 दिसंबर 2006 के आशय पत्र (संक्षेप में एल.ओ.आई.) के खंड 2.0 में हालांकि यह कहा गया है कि दामोदर घाटी निगम (संक्षेप में डीवीसी) द्वारा एनबीसीसी को जारी निविदा में निहित सभी नियम व शर्तें यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां एनबीसीसी द्वारा नियम व शर्तों को स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया है, वहां वे लागू नहीं होंगी। यह कहा गया है कि एल.ओ.आई. के खंड 1.0 में विशेष रूप से कहा गया है कि इसमें निहित दस्तावेजों में उल्लिखित विभिन्न शर्तें, यानी संविदात्मक, वित्तीय और तकनीकी कार्य के निष्पादन के लिए प्रत्यर्थी पर बाध्यकारी होंगी और वे समझौते का हिस्सा होंगी। खंड 10.0 में यह भी कहा गया है कि एल.ओ.आई. भी समझौते का एक हिस्सा होगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि आशय एल.ओ.आई. के खंड 7.0 से पूरी तरह स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि एनबीसीसी और प्रत्यर्थी के बीच विवाद का निवारण केवल दिल्ली की अधिकारिता वाले सिविल न्यायालयों के माध्यम से किया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि पक्षों के बीच संविदा पर लागू कानून भारत में लागू होने वाले कानून होंगे। यह प्रस्तुत किया गया है कि डीवीसी द्वारा एनबीसीसी को जारी किए गए निविदा में निहित नियमों और शर्तों के संदर्भ के कारण, संविदा के अतिरिक्त नियम और शर्तों का खंड 3.34 एल.ओ.आई. के खंड 2.0 में बताए गए विशिष्ट संशोधन के मद्देनजर लागू नहीं होगा।
6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एल.ओ.आई. में समावेशन के बिना नियमों और शर्तों का मात्र संदर्भ, पक्षों के बीच विवाद को मध्यस्थता कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा। **एम.आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड** के मामले में इस

न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब तक एल.ओ.आई. में मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के मद्देनजर मध्यस्थता कार्यवाही के संदर्भ की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुमित कुमार ने इसके विपरीत कहा कि डीवीसी द्वारा एनबीसीसी को जारी किए गए निविदा में नियमों और शर्तों के लिए एल.ओ.आई. के खंड 2.0 में एक विशिष्ट संदर्भ है। उन्होंने कहा कि एकमात्र संशोधन यह है कि संविदा के अतिरिक्त नियमों और शर्तों के खंड 3.34 के तहत, अधिकारिता केवल कोलकाता शहर के न्यायालय में निहित है, जबकि एल.ओ.आई. में अधिकारिता केवल दिल्ली के अधिकारिता वाले सिविल न्यायालयों में निहित होगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस पहलू पर सही ढंग से विचार किया है और इस प्रकार, आरोपित आदेश में कोई हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।
8. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) इस प्रकार है:

“7. मध्यस्थता समझौता -1).....

xxx

xxx

xxx

(5) किसी संविदा में मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ का संदर्भ मध्यस्थता समझौता बनाता है यदि संविदा लिखित में है और संदर्भ ऐसा है कि मध्यस्थता खंड संविदा का हिस्सा बन जाता है।”

9. यह मुद्दा अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है। इस न्यायालय ने **एम.आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के मामले में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (5) के प्रावधानों पर विचार किया है। रसेल ऑन आर्बिट्रेशन और विभिन्न अंग्रेजी निर्णयों से संबंधित अंशों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

“24. इसलिए अधिनियम की धारा 7 (5) के दायरे और इरादे को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

- (i) किसी अन्य दस्तावेज़ में मध्यस्थता खंड को संदर्भ द्वारा संविदा में शामिल किया जाएगा, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

1. संविदा में मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेजों का स्पष्ट संदर्भ होना चाहिए,
 2. अन्य दस्तावेज के संदर्भ को स्पष्ट रूप से संविदा में मध्यस्थता खंड को शामिल करने के इरादे का संकेत देना चाहिए,
 3. मध्यस्थता खंड उपयुक्त होना चाहिए, जो संविदा के तहत विवादों के संबंध में आवेदन करने में सक्षम है और संविदा की किसी भी अवधि के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए.
- (ii) जब पक्षकार किसी अन्य संविदा का सामान्य संदर्भ देते हुए संविदा में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे सामान्य संदर्भ का पक्षों के बीच संविदा में संदर्भित दस्तावेज से मध्यस्थता खंड को शामिल करने का प्रभाव नहीं होगा। किसी अन्य संविदा से मध्यस्थता खंड को संविदा में (जहां ऐसा संदर्भ दिया जाता है) केवल मध्यस्थता खंड के विशिष्ट संदर्भ द्वारा शामिल किया जा सकता है।
- (iii) जहां पक्षकारगण के बीच किसी संविदा में यह प्रावधान है कि उस संविदा का निष्पादन या प्रदर्शन किसी अन्य संविदा के अनुसार होगा (जिसमें प्रदर्शन से संबंधित नियम व शर्तें तथा मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटान का प्रावधान है), तो निष्पादन/प्रदर्शन के संबंध में संदर्भित संविदा की शर्तें ही लागू होंगी, न कि संदर्भित संविदा में मध्यस्थता समझौता, जब तक कि मध्यस्थता खंड का भी विशेष संदर्भ न हो।
- (iv) जहाँ संविदा में यह प्रावधान है कि किसी स्वतंत्र व्यापार या व्यावसायिक संस्था (जैसे कि किसी व्यापार संघ या आर्किटेक्ट संघ के मानक नियम और शर्तें) के नियमों और शर्तों का मानक स्वरूप उन्हें बाध्य करेगा या संविदा पर लागू होगा, ऐसे नियमों और शर्तों का ऐसा मानक स्वरूप जिसमें ऐसे मानक नियमों और शर्तों में मध्यस्थता के लिए कोई प्रावधान शामिल है, संदर्भ द्वारा शामिल माना जाएगा। कभी-कभी संविदा में यह भी कहा जा सकता है कि पक्ष उन नियमों और शर्तों से परिचित हैं या कि पक्षों ने उक्त नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।
- (v) जहां पक्षकारगण के बीच संविदा में यह प्रावधान है कि संविदा के किसी एक पक्ष की संविदा की शर्तें उनके संविदा

का भाग बनेंगी (जैसे कि सरकार के संविदा की सामान्य शर्तें, जहां सरकार एक पक्ष है), तो संविदा की ऐसी सामान्य शर्तों का भाग बनने वाला मध्यस्थता खंड पक्षों के बीच संविदा पर लागू होगा।”

10. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना है कि जब पार्टियां एक संविदा में प्रवेश करती हैं, तो किसी अन्य संविदा का सामान्य संदर्भ देते हुए, इस तरह के सामान्य संदर्भ में संदर्भित दस्तावेज़ से मध्यस्थता खंड को पार्टियों के बीच संविदा में शामिल करने का प्रभाव नहीं होगा. यह माना गया है कि किसी अन्य संविदा से मध्यस्थता खंड को संविदा में (जहां ऐसा संदर्भ दिया जाता है) केवल मध्यस्थता खंड के विशिष्ट संदर्भ द्वारा शामिल किया जा सकता है। यह आगे माना गया है कि जहां पक्षकारगण के बीच एक संविदा प्रदान करता है कि उस संविदा का निष्पादन या प्रदर्शन किसी अन्य संविदा के संदर्भ में होगा (जिसमें प्रदर्शन से संबंधित नियम और शर्तें और मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटान के लिए प्रावधान शामिल हैं), तो, संदर्भित संविदा की शर्तें निष्पादन के संबंध में केवल निष्पादन/निष्पादन ही लागू होगा, न कि संदर्भित संविदा में मध्यस्थता समझौता, जब तक कि मध्यस्थता खंड का भी विशेष संदर्भ न हो।
11. इस न्यायालय ने आगे कहा कि जहां संविदा में यह प्रावधान है कि किसी स्वतंत्र व्यापार या पेशेवर संस्था के नियमों और शर्तों का मानक रूप उन्हें बाध्य करेगा या संविदा पर लागू होगा, ऐसे नियमों और शर्तों का ऐसा मानक रूप, जिसमें ऐसे मानक नियमों और शर्तों में मध्यस्थता के लिए कोई प्रावधान शामिल है, संदर्भ द्वारा शामिल माना जाएगा। यह माना गया है कि कभी-कभी संविदा यह भी कह सकता है कि पक्षकार उन नियमों और शर्तों से परिचित हैं या पक्षों ने उक्त नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। यह भी माना गया है कि जहां पक्षों के बीच संविदा यह निर्धारित करता है कि संविदा के किसी एक पक्षकार की संविदा की शर्तें उनके संविदा का हिस्सा होंगी, संविदा की ऐसी सामान्य शर्तों का हिस्सा बनने वाला मध्यस्थता खंड पक्षों के बीच संविदा पर लागू होगा।
12. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (5) के अवलोकन से पता चलता है कि यह पक्षकारगण द्वारा अपने संविदा के एक भाग के रूप में किसी अन्य दस्तावेज़ से मध्यस्थता खंड को सचेत रूप से स्वीकार करने का प्रावधान करता

है, इससे पहले कि ऐसे मध्यस्थता खंड को पक्षकारगण के बीच संविदा के एक भाग के रूप में पढ़ा जा सके।

13. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविदा में दस्तावेज़ का संदर्भ ऐसा होना चाहिए जो दस्तावेज़ में निहित मध्यस्थता खंड को संविदा में शामिल करने का इरादा दर्शाता हो।
14. **एम आर इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्धारित कानून का पालन इस न्यायालय द्वारा **ड्यूरो फेलगुएरा, एस.ए. बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड और एलीट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध निदेशक द्वारा किया गया बनाम टेकट्रांस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध निदेशक** द्वारा किया गया, के मामलों में किया गया है।
15. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय ने **इनाक्स विंड लिमिटेड बनाम थर्मोकेबल्स लिमिटेड** के मामले में **एम.आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्धारित कानून से अलग राय रखी है। उक्त मामले (यानी **इनाक्स विंड लिमिटेड**) में, इस न्यायालय ने माना है कि हालांकि पहले के संविदा का सामान्य संदर्भ बाद के संविदा में मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन मानक फॉर्म का सामान्य संदर्भ मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि यह न्यायालय **इनाक्स विंड लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के मामले में **एम.आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय से सहमत है, लेकिन यह मानता है कि व्यापार संघों और पेशेवर निकायों के साथ-साथ एक पक्ष के संविदा के मानक फॉर्म का सामान्य संदर्भ मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त होगा। उक्त मामले (यानी **इनाक्स विंड लिमिटेड**) में, इस न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी द्वारा क्रय ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि आपूर्ति उसमें उल्लिखित शर्तों और संलग्न मानक नियमों और शर्तों के अनुसार होगी। प्रत्यर्थी ने अपने पत्र द्वारा इसकी स्वीकृति की पुष्टि की थी। इस न्यायालय ने पाया कि उसके समक्ष मामला एकल-संविदा का मामला था न कि दो-संविदा का मामला और, इसलिए, यह माना कि नियमों और शर्तों में उल्लिखित मध्यस्थता खंड लागू होगा।

16. वर्तमान मामला 'दो संविदा' वाला मामला है न कि 'एकल संविदा' वाला मामला है।
17. डीवीसी द्वारा एनबीसीसी को जारी निविदा में निहित संविदा की अतिरिक्त शर्तों एवं नियमों के खंड 3.34 का संदर्भ लेना प्रासंगिक होगा। खंड 3.34 इस प्रकार है:

"3.34 विवादों का निपटारा और मध्यस्थता

संविदा के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद को यथासंभव स्वामी और आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

संविदा के अंतर्गत या उससे संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, जिसमें संविदा के अस्तित्व, अर्थ और व्याख्या या उसके किसी कथित उल्लंघन से संबंधित कोई प्रश्न शामिल है, उसे दामोदर घाटी निगम, कोलकाता-54 के सचिव, सीईओ या उस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता माध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी और मध्यस्थ का निश्चय/निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इस जांच और उसके बाद के क्रय ऑर्डर से उत्पन्न सभी वाद, यदि कोई हों, केवल कोलकाता शहर के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं और जब आपसी चर्चा और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान/निपटान विफल हो जाता है, तो कोई अन्य रास्ता नहीं है।"

18. इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 3.34 में विवाद को दामोदर घाटी निगम, कोलकाता-54 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिव या उस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का प्रावधान है।
19. एल.ओ.आई. के खंड 1.0, 2.0, 7.0 और 10.0 का संदर्भ देना भी समीचीन होगा, जो इस प्रकार हैं:

"1.0 कार्य का निष्पादन आपके साथ संविदा की संविदात्मक, वित्तीय और तकनीकी शर्तों पर किया जाएगा, जैसा कि निम्नलिखित दस्तावेजों में निहित है, जो कार्यों के निष्पादन के लिए

आप पर लागू और बाध्यकारी होंगे और आपके साथ समझौते का हिस्सा बनेंगे, जैसा कि ऊपर उल्लिखित एनआईटी-01/डब्ल्यूआईआर/06 दिनांक 3 नवंबर, 2006 में भी उल्लेख किया गया है।

(क) निविदा आमंत्रण सूचना

(ख) संविदा की सामान्य शर्तें

(ग) संविदा की विशेष शर्तें

(घ) मात्रा का बिल

2.0 डीवीसी द्वारा एनबीसीसी को जारी निविदा में निहित सभी निबंधन एवं शर्तें उन मामलों को छोड़कर जहां एनबीसीसी द्वारा इन्हें स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया है, यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगी।

7.0 एनबीसीसी और आपके बीच विवाद का निवारण केवल दिल्ली की अधिकारिता वाले सिविल न्यायालयों के माध्यम से ही होगा। इस संविदा पर लागू कानून भारत में लागू कानून होंगे।

10.0 यह आशय पत्र भी समझौते का एक हिस्सा होगा।

20. धारा 1.0 के अनुसार, इसमें वर्णित दस्तावेज भी समझौते का हिस्सा होंगे। धारा 2.0 के अनुसार, डीवीसी द्वारा एनबीसीसी को जारी निविदा में निहित सभी नियम और शर्तें यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां इन्हें एनबीसीसी द्वारा स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया हो। धारा 7.0 में विशेष रूप से प्रावधान है कि एनबीसीसी और प्रत्यर्थी के बीच विवाद का निवारण केवल दिल्ली के अधिकार क्षेत्र वाले सिविल न्यायालयों के माध्यम से होगा। धारा 10.0 में आगे प्रावधान है कि एल.ओ.आई. भी समझौते का हिस्सा होगा।

21. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पक्षकारगण के बीच इरादा बहुत स्पष्ट है। एलओआई का खंड 7.0 जो समझौते का हिस्सा भी है, विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि एनबीसीसी और प्रत्यर्थी के बीच विवाद का निवारण केवल दिल्ली की अधिकारिता वाले सिविल न्यायालयों के माध्यम से किया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि एल.ओ.आई. के खंड 7.0 में विशेष रूप से "केवल दिल्ली की अधिकारिता वाले सिविल न्यायालयों के माध्यम से" शब्दों से पहले "केवल" शब्द का उपयोग किया गया है।

22. जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, जब पहले संविदा के नियमों और शर्तों के लिए दूसरे संविदा में एक संदर्भ होता है, तो मध्यस्थता खंड दूसरे संविदा पर स्वतः लागू नहीं होगा जब तक कि कोई विशिष्ट उल्लेख / संदर्भ न हो।
23. हमारा मानना है कि वर्तमान मामला 'समावेशन' का मामला नहीं है, बल्कि 'संदर्भ' का मामला है। इस प्रकार, एक सामान्य संदर्भ में मध्यस्थता खंड को शामिल करने का प्रभाव नहीं होगा। किसी भी मामले में, एल.ओ.आई. का खंड 7.0, जो समझौते का एक हिस्सा भी है, यह साफ़ तौर पर स्पष्ट करता है कि एनबीसीसी और प्रत्यर्थी के बीच विवाद का निवारण केवल दिल्ली की अधिकारिता वाले सिविल न्यायालयों के माध्यम से होना चाहिए।
24. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी के आवेदन को स्वीकार करने में गलती की है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाता है और उन्हें अलग रखा जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
25. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जाएगा।

*निम्नलिखित द्वारा तैयार किए गए हेडनोट्स:
हिमांशु राय, मानद सहायक संपादक
(के द्वारा सत्यापित: कनु अग्रवाल, अधिवक्ता)*

*मामले का परिणाम:
अपील की अनुमति है।*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त

कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.